प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली **दिनाँक 16.11.2025**

थाना छपरौली पुलिस ने गस्त के दौरान एक जिला बदर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा एरिया डोमिनेशन/गस्त के दौरान 01 जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 277/25 धारा 4/10 गुन्डा अधिनियम व 4/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गौरव पुत्र विनोद नि0 ग्राम कुर्डी थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध चाकू।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मेजर सिंह विर्क थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-का0 594 सरफराज थाना छपरौली जनपद बागपत।

3-का0 429 प्रदीप थाना छपरौली जनपद बागपत।

BAGHPAT POLICE

थाना बडौत जनपद बागपत

दिनांक-16.11.2025

थाना बडौत पुलिस द्वारा माह नवम्बर 2025 में आवेदक/पीडित से हुई ऑनलाइन रुपयों की धोखाधड़ी में कुल 50,000/- रूपये वापस कराये गये–

थाना बडौत पुलिस द्वारा शिकायत को तत्काल संज्ञान में लेते हुए त्वरित विधिक कार्यवाही की गयी, जिसके फलस्वरूप आवेदक/पीड़ित के बैंक खातों से निकाले गये रुपयों को वापस कराया गया। रुपये वापस मिलने पर आवेदक/पीड़ित द्वारा बडौत पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।

क्र0सं0	थाना	प्रा0पत्रसं0	वापस करायी गयी धनराशि
1	बडौत	33109250127945	50,000/-
		कुल	₹ 50,000/-

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली **दिनाँक 16.11.2025**

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2)/103(1) बीएनएस में वाँछित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 08.09.2025 थाना बिनौली पर वादी श्री जयवीर सिंह पुत्र श्री जोगेराम निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. पप्पू पुत्र आसे, 2. आकाश पुत्र पप्पू, 3. गौरव पुत्र पप्पू, 4. राजीव पुत्र ओमकार, 5. अजय पुत्र ओमकार, 6. संजय पुत्र ओमकार, 7. सोनू, 8. अक्षय, 9. धर्मेन्द्र, 10. जितेन्द्र,11.मोनू पुत्रगण रामचन्दर,12.रामचन्द्र पुत्र वीरे, 13.दीपक पुत्र सोहन निवासीगण ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी डण्डों व धारादार हथियार से लैस होकर एक राय होकर जान से मारने की नीयत से वादी व वादी के परिजनों के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी व ट्रेक्टर से परिवाजनों को कुचल दिया, जिससे पैर व हाथों की हड्डी टूट गयी। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2) बीएऩएस पंजीकृत किया गया।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में पूर्व में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 103(1) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं 276/25 धारा 191(2)/191(3)/109(1)/117(2)/352/351(3)/115(2)/103(1) बीएनएस में वाछिंत 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-मोनू उर्फ काला पुत्र रामचन्दर उर्फ पिन्डू निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

2-जितेन्द्र उर्फ जीते पुत्र रामचन्दर उर्फ पिन्डू निवासी ग्राम जौहडी थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-श्री राकेश कुमार शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना बिनौली बागपत।

2-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली बागपत।

3-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह परमार थाना बिनौली बागपत।

4-उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली बागपत।

5-है0का0 35 तेजपाल सिंह थाना बिनौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 16.11.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/351(3)/118(2) बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक – 20.10.2025 को थाना बिनौली पर आवेदक श्री जितेन्द्र पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त 1. निक्की पुत्र नरेश 2. नीटू पुत्र महिपाल नि0गण कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा वादी के साथ गाली-गलौच करते हुये मारपीट की गयी तथा लोहे की रोड से वादी के बांयी आँख के ऊपर चोट मार दी । जिससे वादी की आँख घायल हो गयी तथा जाते जाते जान से मारने की धमकी देकर भाग गये । इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/351(3) BNS में पंजीकृत किया गया ।

नोटः- उपरोक्त अभियोग में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 118(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/351(3)/118(2) बीएनएस में वाछिंत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

नीटू पुत्र महिपाल उर्फ मैनपाल सिंह निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त नीटू का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 342/25 धारा 115(2)/352/351(3)/118(2) बीएनएस थाना बिनौली बागपत।

2.मु0अ0सं0 199/2022 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिनौली बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अश्वनी कुमार थाना बिनौली बागपत।

2-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

साइबर क्राइम सेल **दिनाँक 16.11.2025**

साइबर क्राइम सेल की टीम ने कैब की ऑनलाइन बुकिंग के जरिये कैब चालकों के साथ अन्तर्राज्यीय स्तर पर ऑनलाइन ठगी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, 1 स्विफ्ट डिजायर कार, 02 आधार कार्ड, 02 पेन कार्ड, 01 निर्वाचन कार्ड, 01 कोटक महिन्द्रा ATM कार्ड बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

गृह मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल से प्राप्त ऑनलाइन साइबर सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर सेल बागपत पर विधिक कार्यवाही प्रारंभ की गयी। उक्त सूचना की जाँच मे पाया गया कि एक गिरोह ऑनलाइन कैब बुकिंग/कमिशन के नाम पर कैब चालकों के साथ Online/Financial ठगी करने का काम करता थे। जांच के क्रम में साइबर सेल बागपत द्वारा मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 साइबर क्राइम से प्राप्त समस्त प्रपत्रों एवं दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। जांच में पाया गया कि 1-अरशद पुत्र मेहरबान, 2.समीर पुत्र मेहरबान नि0 ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत द्वारा

उपरोक्त अपराध किया गया है, जो गंभीर एवं दण्डनीय अपराध है। साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने की दिशा में साइबर सेल, बागपत टीम द्वारा त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुये उपरोक्त प्रकरण का संज्ञान लेते हुये थाना साइबर क्राइम पर मुकदमा अपराध संख्या- **46/2025** धारा **318(4)/111 BNS** व **66D IT Act** पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर क्राइम सेल बागपत की टीम द्वारा 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन, 1 कार नं UP17BT1381, 02 आधार कार्ड, 02 पेन कार्ड, 01निर्वाचन कार्ड, 01 कोटक महिन्द्रा ATM कार्ड बरामद हुए हैं। अभियुक्तो से बरामद मोबाइलों पर चलने वासे सिमों के विरुद्ध विभिन्न राज्यो जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश शामिल है, कुल 38 शिकायते गृह मंत्रालय के NCRP Portal पर पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण:-

- घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल फोन।
- 1 स्विफ्ट डिजायर कार नं UP17BT1381
- 2 आधार कार्ड।
- 02 पेन कार्ड।
- 01 निर्वाचन कार्ड।
- 01 कोटेक महेन्द्रा ATM कार्ड।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

1-अरशद पुत्र मेहरबान नि0 ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

2-समीर पुत्र मेहरबान नि0 ग्राम गौना थाना चाँदीनगर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक श्री कैलाश चन्द प्रभारी साइबर सेल बागपत।
2-उ0नि0 श्री उपदेश शर्मा साइबर सेल जनपद बागपत।
3-उ0नि0 श्री दिग्विजय साइबर सेल जनपद बागपत।
4-उ0नि0 श्री सौम्य कृष्णात्रेय साइबर सेल जनपद बागपत।
5-है0का0 85 रवि शंकर साइबर सेल जनपद बागपत।
6-है0का0 886 रवि साइबर सेल जनपद बागपत।
7-का0 953 अंकुल साइबर सेल जनपद बागपत।
8-का0 879 अमरेश कुमार साइबर सेल जनपद बागपत।